राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0
"किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक: विप0–3/क0से0/10/1/2021– 456 दिनांक: 29.10.2021

आदेश

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 के मा0 संचालक मण्डल की 159वीं बैठक दिनांक 12.02.2021 के मद संख्या–7 में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर मा0 संचालक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया:–

मद संख्या	प्रस्ताव	निर्णय
7	मण्डी समितियों/परिषद कार्यालयों में आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग से मानको व शासनादेश संख्या–1200/78–1–2019–45 आई0टी0/2016 टीसी(ए0) दिनांक 03, जनवरी 2020 के अनुसार मोबाइल टावर के लिये भूमि उपलब्ध कराने तथा मण्डी परिसरों में विज्ञापन/होर्डिंग आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार व विज्ञापन के उपयोग को अनुमन्य किये जाने हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया एवं यह निर्देश दिये गये कि मोबाईल टावर एवं विज्ञापन आदि के लिए प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिए गये उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में प्रदेश के मण्डी समितियों/मण्डी परिषद कार्यालयों के परिसरों में विज्ञापन/होर्डिंग आदि के द्वारा प्रचार–प्रसार व विज्ञापन के उपयोग को अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में मोबाईल टावर एवं विज्ञापन आदि के लिए प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता के अनुसार कार्यवाही करने की शर्ते व प्रकिया तय करने हेतु परिषद कार्यालय ज्ञाप संख्या–विप0–3/क0से0–मोबाईल टावर/2021–895 दिनांक 22.02'2021 द्वारा उप निदेशक(प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद मुख्यालय की अध्यक्षता में 07 सदस्यों की समिति गठित की गयी। गठित समिति द्वारा मण्डी परिसरों में विज्ञापन/होर्डिंग लगाये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित संस्तुति प्रस्तुत की गयी है:–

मण्डी परिसरों में विज्ञापन होर्डिंग हेतु प्रकिया/शर्ते Tender/EOI की संस्तुति :–

(1) मण्डी समिति से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये मण्डी परिसरों के भीतर किसी भूमि एवं भवन तथा चहारदीवारी, विद्युत या टेलीफोन खम्बो, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति मण्डी समिति की लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भूमि या भवन, ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा न लटकायेगा और न ही किसी मण्डी परिसर के भीतर से दृश्य हो।

(2) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने से कोई व्यवधान हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गो के सिवाय अन्य मार्गो के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(4) मण्डी परिसर में आन्तरिक मार्गो में होर्डिंग को साइड पटरी पर नाली के समीप लगाया जाए (ट्राफिक वे पर नहीं)।

(5) प्रवेश द्वार के पास बाउण्ड्री से सटा कर होर्डिंग का फेस हाईवे से दिखाई देता हो के अनुसार लगाया

...2

जाए।

(6) बोर्ड 5 मीटर से अधिक ऊंचे होने पर उसको ट्रस कॉलम पर लगाया जाए ताकि आंधी में गार्डर के टेडे होने की सम्भावना से बचा जा सके।

(7) उपरोक्त नियमों व आवंटन प्रक्रिया/शर्तो में संशोधन परिवर्तन/परिवर्धन करने का पूर्ण अधिकार मण्डी निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ0प्र0 में निहित होगा, जो सर्वमान्य होगा।

(8) दोनों पक्षों में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रकरण निदेशक, मण्डी परिषद,उ0प्र0, को संदर्भित किया जाएगा तथा उनका अन्तिम निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(9) समस्त प्रकार के उत्पन्न विवादों के प्रकरण के निस्तारण हेतु समस्त प्रकार के उत्पन्न विवादों के प्रकरण के निस्तारण हेतु न्याय क्षेत्र अनुज्ञा पत्र से सम्बन्धित जनपद का जिला जज का न्यायालय होगा। आवंटी को उपरोक्त समस्त शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्ते :–

(1) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी, जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, जिसका अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क मण्डी समिति में जमा किया गया हो।

(क) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिख जाएगा, चिपकाया जाएगा, समुदधृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा, जिसकी अनुमति **संबंधित उप निदेशक(प्रशा0/विप0)** द्वारा दी जाये। विज्ञापन पट्ट चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नहीं होगी।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा।

(ग) विज्ञापन हेतु प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(घ) विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसके विवरण में **मण्डी निदेशक** की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ड) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे। विज्ञापनकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर विज्ञापन को न हटाये जाने की स्थिति में मण्डी समिति द्वारा विज्ञापन/होर्डिंग को हटाये जाने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति पेनाल्टी सहित विज्ञापनकर्ता की जमा धरोहर धनराशि से कटौती की जायेगी।

(च) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

(छ) लोकहित में **मण्डी निदेशक** को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञापत्र को निरस्त कर सकते हैं, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता द्वारा विज्ञापन को तत्काल हटा दिया जायेगा। यदि विज्ञापन को हटाने में समय लगता है, तो अधिकतम 72 घंटे तक का समय दिये जाने हेतु सम्बन्धित सचिव अधिकृत होंगे।

(ज) विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग निषिद्ध होगा।

(झ) भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ञ) विज्ञापनकर्ता द्वारा लगाये जाने वाली होर्डिंग के स्ट्रक्चर की भार क्षमता का आंकलन संबंधित उप निदेशक (निर्माण) द्वारा किया जायेगा तत्पश्चात होर्डिंग के स्ट्रक्चर को एप्रूव किया जायेगा।

......3

(2) मण्डी समिति द्वारा प्रदान की गई लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा :–

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्ही अन्य कारण से गिर जाता है।

(ख) यदि कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर मण्डी निदेशक के निर्देश के अधीन किया जाता है।

(ग) यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो और यदि ऐसे परिवर्द्धन/परिवर्तन में विज्ञापन पट्ट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है।

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नियत या अवरूद्ध हो, भंति या नष्ट हो जाती है।

<u>आवंटन समिति</u> :–

(1) समस्त "विज्ञापन स्थल" द्वारा आनलाईन नीलामी/निविदा के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।

(2) विज्ञापनकर्ता द्वारा मण्डी समिति में अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि अथवा मण्डी निदेशक द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही उसे अनुज्ञा आदेश जारी किया जाएगा।

(3) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्हीं कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिये जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी।

(4) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्ते अनुज्ञा में उल्लिखित की जाएगी।

(5) विज्ञापन (यथा– होर्डिंग, यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत टेलीफोन खम्भों ट्री–गार्ड/प्लावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/ निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जाएगी।

(6) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची–2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

<u>आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार</u> :–

(1) प्रस्तावित विज्ञापन विधिक रूप से आपत्तिजनक प्रकृति का या मण्डी समिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि मण्डी निदेशक की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सभावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(2) तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो।

(3) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की संभावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो।

(4) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(5) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो।

(6) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के सम्बन्ध में धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।

(7) अन्य कोई कारण जिसे मण्डी समिति के हित व जनहित में उचित समझे।

विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति :—

(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंधन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिये परिसंकटमय या खतरनाक हों या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूमि से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है:—

(क) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन मण्डी समिति द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को मण्डी समिति के समाधान पर्यन्त ठीक किया जाएगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को मण्डी समिति द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये।

अतएव मा0 संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में मण्डी समितियों/परिषद कार्यालय में मण्डी समितियों/परिषद कार्यालय परिसर में आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मानको व शासनादेश संख्या—1200/78—1—2019—45 आई0टी0/2016 टीसी(ए0) दिनांक 03, जनवरी 2020 के अनुसार मण्डी परिसरों में विज्ञापन/होर्डिंग आदि के द्वारा प्रचार—प्रसार व विज्ञापन के उपयोग को अनुमन्य किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुसार उपरोक्त प्रक्रिया एवं शर्ते लागू की जाती है।

अतएव उपर्युक्तानुसार मण्डी समिति/मण्डी परिषद के कार्यालय परिसरों में विज्ञापन हेतु होर्डिंग आदि स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(अंजनी कुमार सिंह)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:— अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. वित्त नियंत्रक मण्डी परिषद मुख्यालय।
2. मुख्य अभियन्ता मण्डी परिषद मुख्यालय।
3. समस्त उप निदेशक(प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद उ0प्र0।
4. समस्त सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉ उ0प्र0।
5. समस्त उप निदेशक (निर्माण) मण्डी परिषद उ0प्र0।
6. उप निदेशक (निर्माण) अनुरक्षण खण्ड मण्डी परिषद मुख्यालय।
7. समस्त उप निदेशक(विधुत यांन्त्रिक)मण्डी परिषद उ0प्र0।
8. सिस्टम एनॉलिस्ट मण्डी परिषद मुख्यालय को मण्डी परिषद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(निधि श्रीवास्तव)
अपर निदेशक(प्रशासन)
28/10/21